


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज महमूदी बनाम सुभान खॉ अपील संख्या:-6/2018(जीपीएमएस नम्बर 2018/00074)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होंने रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु अवसर चाहा।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रकरण वर्ष 2018 से तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा प्रकरण में दिनांक 05.09.2019 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 के नोटिस पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कई बार अवसर लेने के उपरान्त भी आदिनांक तक तलबी नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। प्रकरण काफी पुराना वर्ष 2018 का है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त आदेशों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ० प्रवीण कुमार) अति-संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	